

न्यायालय-विनोद कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)

व्यवहार वाद कमांक 124ए/2013

फाइलिंग नम्बर 23030103272013

संस्थित दिनांक 03.07.2013

धर्मसहाय पुत्र आशाराम वघेल उम्र 45
साल निवासी दैपुरा थाना अटेर जिला
भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक/वादी

///विरुद्ध///

फतेहसिंह पुत्र चतुरी उम्र 55 साल निवासी
दैपुरा परगना अटेर जिला भिण्ड म.प्र

.....अनावेदक/प्रतिवादी

///आदेश ///

/// आज दिनांक 20/06/2014 को पारित किया गया ///

1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 आई0ए0 नंबर 1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दैपुरा परगना अटेर में वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी क्र. 219 करवा 0.46 स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमि स्वामी पटवारी कागजात में अंकित है। उक्त भूमि में से प्रति.क्र. 1 ने रकवा 7 विश्वा पर जबरन जोत लिया। वादी ने मना किया तो झगडा करने को तैयार हो गया। प्रति.क्र. 1 ने कब्जा एक साल पूर्व कर लिया है। जब उससे कब्जा छोडने को कहा तो वह झगडा करने को तैयार हो गया। दिनांक 24.06.2013 को प्रतिवादी के झगडा करने पर वादी थाना अटेर में रिपोर्ट करने गया। रिपोर्ट नहीं लिखी जाने से कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी का कोई इंड्राज नहीं है। उसने जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। यदि प्रति.क्र. 1/अनावेदक को नहीं रोका गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। अतः अनावेदक के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का

आदेश जारी कर विवादित भूमि में वादी के कब्जे में हस्तक्षेप रोके जाने की सहायता चाही है।

3. अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि आराजी क्र. 219 रकबा 0.46 हे० वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का नहीं है। आराजी क्र. 219 एवं 166 मौजा दैपुरा का वादी के पिता आशाराम व ताउ दुर्गाई तथा अनावेदक क्र. 1 के पिता चतुरी की शामलाती भूमि है, जिस पर अनावेदक का समान हिस्सा 1/3 है। अनावेदक ने आराजी क्र. 219 का तन्हा नाम राजस्व रिकार्ड में करवा लिया है। अनावेदक का कब्जा पूर्वजों के समय से निरंतर शांति पूर्वक चला आ रहा है। कब्जे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दिनांक 24.6.013 को आवेदक द्वारा अनावेदक को कब्जा छोड़ने की बात करने पर झगडा नहीं हुआ। सारी बातें झूठी लेख कराई है। विशेष कथन में प्रकट किया है कि अनावेदक के पिता चतुरी तथा वादी धर्मसहाय के पिता आशाराम एवं ताउ दुर्गाई आपस में सगे भाई थे। वादग्रस्त भूमि आराजी क्र. 219 एवं 166 जमींदारी काल से तीनों ही लोगों को मौरुषी कृषक के रूप में काबिज होने से प्राप्त हुई थी। जिस पर जमींदारी काल से ही दुर्गाई व आशाराम का समान भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य रहा, लेकिन कालांतर में आशाराम ने चालाकी से राजस्व रिकार्ड में 1/3 भाग पर अपना नामांतरण करा लिया और चतुरीसिंह का नाम छोड़ दिया जबकि पिता चतुरी सिंह का 1/3 पर स्वत्व व आधिपत्य रहा है। अतः जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र आधारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

4. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न विन्दु विचारणीय है :-

1. क्या वादी का प्रथम दृष्टया वाद है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी ना किए जाने से उसे अपूर्णीय क्षति कारित होगी ?

!! विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3!!

5. वादी की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा अनावेदक/प्रतिवादी ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभयपक्ष के शपथ पत्र अपने अपने अभिवचन के समर्थन में है।

6. वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में भू अधिकार एवं ऋणपुस्तिका आराजी क्र. 219 एवं खसरा पांच साला संवत् 2054 से 2058 एवं 2059 से 2063 तथा खसरा एवं किश्तबंद खितौनी वर्तमान की प्रस्तुत की है। उसमें आराजी क्रमांक 219 पर प्रतिवादी धर्मसहाय का नाम भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी की हैसियत से दर्ज है।

7. प्रतिवादी ने यह अभिवचन लिया है कि वादी के पिता, ताउ दुर्गाई एवं उसके पिता भूमि पर जमींदारी के समय से ही मौरूषी कृषक के रूप में दर्ज रहे, लेकिन कालांतर में आशाराम ने उनके पिता का इंद्राज हटावाकर स्वयं गलत तरीके से भू अधिकार, ऋणपुस्तिका एवं राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इंद्राज कराया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। प्रतिवादी एवं उसके पिता का नाम कभी भी राजस्व अभिलेख में किसी भी हैसियत से दर्ज नहीं रहा। अतः वादी के मुकावले प्रतिवादी का यह कहना कि वह विवादित भूमि में 1/3 भाग का स्वामी है। प्रथम दृष्ट्या ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रथम दृष्ट्या अपना स्वत्व विवादित आराजी पर दर्शित किया है। वादी का कहना है कि प्रतिवादी ने लट्ठ के बल पर एक वर्ष पूर्व विवादित आराजी के 7 विश्वा कर जबरन कब्जा कर लिया है। जब उससे भूमि छोड़ने को कहा तो वह झगडा करने को तैयार हो गया इस प्रकार यह दर्शित होता है कि विवादित आराजी के सात विश्वा पर प्रतिवादी ने आधिपत्य अविधिक रूप से कर लिया है। वर्तमान दावा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता वावत है। आधिपत्य वापसी की सहायता नहीं चाही गई है। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र से अंतिम प्रकृति की सहायता वादी को प्रदान नहीं की जा सकती। अन्यथा दावे के गुण-दोष पर निराकरण की ही आवश्यकता नहीं रह जायेगी। वादी के ही अभिवचन से मामला आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का न होकर आधिपत्य से बेदखल करने का है। ऐसी दशा में आधिपत्य वापसी की सहायता चाहे जाने पर ही गुण दोष पर ही प्रदान किया जाना संभव है।

9. यद्यपि वादी का स्वत्व संपूर्ण विवादित आराजी प्रथमदृष्ट्या अभिलेख उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित है, लेकिन अविधिक रूप से कब्जा प्रतिवादी ने किया है तो उसे विधि की प्रक्रिया से ही बेदखल किया जा सकता है।

10. उपरोक्त विवेचन के आलोक में वादी द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से जो

सहायता चाही है वह उसे अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र के माध्यम से नहीं प्रदान की जा सकती। अतः वांछित सहायता के संबंध में वादी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। जहां वादी का आधिपत्य आराजी के सात विश्वा पर नहीं रहा। वहां पर उसके हक में सुविधा का संतुलन एवं उसे अपूर्णनीय क्षति भी होने की संभावना नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आलोक में कोई भी विचारणीय बिंदु वादी के हक में प्रमाणित नहीं है। अतः वादी वांछित सहायता आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. आई. ए. एन. 01 विचारोपरांत निरस्त किया जाता है।

12. उभय पक्ष आवेदन पत्र का अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।

13. उक्त आदेश का प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टाईप किया गया ।
दिनांकित कर पारित किया गया ।

(विनोद कुमार शर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

(विनोद कुमार शर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)